संख्या- 16 /2017/829/नौ-8-17-07एस0(बजट)/2016

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनुसचिव ,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में **"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास एवं जनसामान्य को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में **"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** लागू की गयी है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-8/2016/696/9-8-2016-124ज/2014 दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा निर्गत किये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूंजीगत परिसम्पितियों के सृजन हेतु अनुदान में **"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** हेतु प्रावधानित धनराशि में से निम्न विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद-शाहजहांपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष नगर पालिका परिषद-शाहजहांपुर के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि रू0 287.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रूपये 144.00 लाख (रूपये एक करोड़ चवालिस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	निकाय का नाम/जनपद	कार्य का विवरण	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत की धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर , शाहजहांपुर	400 वाट सोलर एस.पी.वी. हाईमास्ट विद लिथियूम फेरो फास्फेट बैटरी (120 यूनिट), 30 एच.पी. सोलर वाटर पम्प (02 यूनिट),	287.64	287.64	287.64	144.00
		कुल योग.			287.64	144.00

(रूपये एक करोड़ चवालिस लाख मात्र)

(1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-8/2016/696/9-8-2016-124ज/2014 दिनांक 08 मार्च, 2016 के संबंध में "**डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना**" के लिए प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन प्राप्त कार्य योजनाओं के आधार पर स्वीकृत की जा रही है।

(2) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(3) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(7) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(8) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित नागर निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. निदेशक नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा " डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना" के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकायों के द्वारा "डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना " के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में धनराशि अन्तरित की जाय।"

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित

ओम

विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-06-डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अजय कुमार ओझा)
अनुसचिव ।

संख्या- 16/2017/ 829(1)/नौ-8-17 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिए अपने राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तुरन्त निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनुसचिव।